उत्तर प्रदेश लोकल अथारिटीज (जन–गणना सम्बन्धी व्यय देने का) ऐक्ट, 1950 ई0

(उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 18, 1950)

THE UTTAR PRADESH LOCAL AUTHORITIES (PAYMENT OF CENSUS EXPENSES) ACT, 1950

(U.P. Act No. XVIII of 1950)

उत्तर प्रदेश लोकल अथारिटीज (जन–गणना सम्बन्धी व्यय देने का) ऐक्ट, 1950[1] ई0

(उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 18, 1950)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 फरवरी, 1950 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 26 मार्च, 1950 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 अप्रैल, 1950 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 2 मई, 1950 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

लोकल अथारिटीज (स्थानिक आधिकारिक) द्वारा जन–गणना सम्बन्धी व्यय देने की व्यवस्था के लिये

ऐक्ट

क्योंकि राज्य सरकार को ऐसा अधिकार देना उचित और आवश्यक है, जिससे वह किसी क्षेत्र में जन–गणना के सम्बन्ध में हुए व्यय का भार उस क्षेत्र में कार्य करने वाली लोकल अथारिटी (स्थानिक आधिकारिक) के लोकल फण्ड (स्थानिक कोष) पर डाल सके :

इसलिये निम्नलिखित कानून बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) इस ऐक्ट का नाम उत्तर प्रदेश लोकल अथारिटीज (जन–गणना सम्बन्धी व्यय देने का) ऐक्ट, 1950 ई0 होगा ।

(2) यह समस्त उत्तर प्रदेश मे लागू होगा ।

(3) यह तुरन्त लागू होगा ।

परिभाषाएं 1948 ई० का ऐक्ट सं0 37

2–इस ऐक्ट में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर जन–गणना का तात्पर्य ऐसी "सेन्सस" से है, जो सेन्सस ऐक्ट, 1948 ई0 के निर्देशों के अनुसार और अधीन की जाय ।

जन–गणना के व्ययों का भार स्थानिक कोष पर डालने का अधिकार

3–म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फण्डों के सम्बन्ध में किसी कानून, नियम, अधिनियम या उपनियम में किसी बात के रहते हुए भी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि किसी म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सीमा के भीतर जन–गणना के सम्बन्ध में इस ऐक्ट के प्रारम्भ से पहले या पीछे किया हुआ समस्त व्यय का या उसके किसी अंश का भार उक्त म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, जैसी भी दशा हो, फण्ड (कोष) पर रहेगा ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये उ0 प्र0 असाधारण गजट दिनांक 22 जनवरी, 1950 देखें ।

उन नम्बरों के सम्बन्ध में जो सेन्सस ऐक्ट, 1948 ई0 के अधीन किसी मकान या किसी अन्य स्थान पर लगाये गये हों यह समझा जायगा कि वे स्थानिक अधिकारिक द्वारा लगाये गये थे

4–सेन्सस ऐक्ट, 1948 ई0 की धारा 9 के अधीन किसी मकान, घिरे हुए स्थान या अन्य स्थल पर लिखे हुये या लगाये हुये नम्बरों के सम्बन्ध में, किसी कानून में किसी बात के रहते हुए भी, किसी ऐसे लोकल अथारिटी (स्थानिक आधिकारिक) या लोकल अथारिटीज (स्थानिक अधिकारिक) के वर्ग की दशा में, जिन्हें इस सम्बन्ध में गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य की सरकार ने प्रख्यापित किया हो, यह समझा जायगा कि उक्त लोकल अथारिटी (स्थानिक आधिकारिक) या लोकल अथारिटीज (स्थानिक आधिकारियों) के वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले कानून के प्रयोजनों के लिये वह ऐसे नम्बर हैं, जो उक्त लोकल अथारिटी या अथारिटीज पर लागू कानून के निदेशों के अनुसार लगाये गये थे या चिन्हित किये गये थे।

नियम बनाने का अधिकार

5–राज्य की सरकार इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।